भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 10/2015–20

नई दिल्ली, दिनांकः 30th जून, 2017

विषयः– आईटीसी (एचएस) कोड 07031010 के तहत' प्याज ताजा अथवा कोल्ड स्टोर में रखे हुए' के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के लाभ को 30.09.2017 तक बढ़ाना।

विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 07031010 के तहत 'प्याज ताजा अथवा कोल्ड स्टोर में रखे हुए' के निर्यात के लिए 5 प्रतिशत की पोत पर्यंत निशुल्क मूल्य दर पर, सार्वजनिक सूचना सं. 26/2015–2020 दिनांक 26 अगस्त, 2016, सार्वजनिक सूचना सं० 49/2015–2020 दिनांक 30.12.2016 और सार्वजनिक सूचना सं० 64/2015–2020 दिनांक 31.03.2017 द्वारा यथा अधिसूचित एमईआईएस लाभ को आगे तीन माह अर्थात् 30.09.2017 तक बढ़ाते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– आईटीसी (एचएस) कोड 07031010 के तहत 'प्याज ताजा अथवा कोल्ड स्टोर में रखे हुए' के निर्यात के लिए एमईआईएस लाभ को दिनांक 30.09.2017 तक बढ़ाया जाता है।

अजय भल्ला

(अजय कुमार भल्ला)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/68/एएम15/पीसी–3 से जारी)